

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार का पत्र क्रमांक : प.19(16)शिक्षा-2/2020 जयपुर, दिनांक 22.02.2022 के अनुसरण में डॉ. राधाकृष्णन राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, जयपुर में कार्यरत निम्नांकित अधिकारी/कार्मिक की प्रतिनियुक्ति अवधि में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 05 के अनुसार "राजस्थान सेवा नियम-1951" के नियम-144 "क" के तहत अभिवृद्धि किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	अधिकारी/कार्मिक का नाम मय मूल पद	प्रतिनियुक्ति पर पदनाम	प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि की दिनांक	प्रतिनियुक्ति अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती रेखा यादव व्याख्याता रसायन विज्ञान	पुस्तकालय सहायक ग्रेड-3	08.02.2022 से 07.02.2023 तक	एक वर्ष

Rajasthan Education Department



(काना राम)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 11.03.2022

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.शिक्षा मंत्री, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
4. राज्य पुस्तकालयध्यक्ष, डॉ. राधाकृष्णन राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, जे.एल.एन.मार्ग, गांधीनगर, जयपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
7. संबंधित अनुभाग अधिकारी, संस्थापन-(सी-1), कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
9. संबंधित कार्मिक।
10. रजिस्ट्रार पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

राज्य सरकार के पत्रांक-प.19(11)शिक्षा-2/2019 पार्ट-3 जयपुर दिनांक-09.03.2022 की अनुपालना में श्रीमती स्नेहलता यादव व्याख्याता हिन्दी सनकक्ष शैक्षिक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर, श्रीमती निशी जैन व्याख्याता जीव विज्ञान को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में शैक्षिक अधिकारी के पद पर राजस्थान सेवा नियम 1981 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। उक्त श्रीमती स्नेहलता यादव व्याख्याता हिन्दी को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी उपस्थिति निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में दें। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

Rajasthan Education Department



(काना रान)

अदरक

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति/अनु-2020

दिनांक : 11-3-2022

⇒ प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.शिक्षा मंत्री, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा
4. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
7. संबंधित अनुभाग अधिकारी, संस्थापन-(सी-1, सी-4), कार्यालय हाजा।
8. संबंधित कार्मिक।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### —: कार्यालय आदेश :—

राज्य सरकार के पत्रांक—प.19(12)शिक्षा-2/2019 जयपुर, दिनांक—22.02.2022 की अनुपालना में श्री बलजिन्द्रसिंह बराड, व्याख्याता (अंग्रेजी), राउमावि 4 जेजे ब्लॉक पदमपुर, श्रीगंगानगर की प्रतिनियुक्ति अल्पसंख्यक मामलात विभाग में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर 'राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए लगाये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित संस्थाप्रधान कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त कर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।



(कानाराम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 11.3.2022

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति(अन्य)/2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.शिक्षा मंत्री, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
6. संबंधित अनुभाग अधिकारी, संस्थापन-(सी-1), कार्यालय हाजा।
7. संबंधित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर